उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-153/2017/1455/92-2-17-10जांच/2013
लखनऊ:: दिनांक:: 16 अगस्त,2017

शुद्धि पत्र

श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-138/92(प्रकोष्ठ)/2014-10जांच/2013 दिनांक 10.04.2014 द्वारा दिये गये कारण बताओ नोटिस को उनके दिनांक 28.02.2017 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या-139/2017/1388/92-2-17-10जांच/2013 दिनांक 09-08-2017 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया।

2- शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-139/2017/1388/92-2-17-10जांच/2013 दिनांक 09.08.2017 के प्रथम प्रस्तर के चतुर्थ पंक्ति में कुल शासकीय क्षति रू0 1432.75 के स्थान पर त्रुटिवश कुल शासकीय क्षति रू0 3,814.00 टंकित हो गया है। अत: शासन के संदर्भित कार्यालय आदेश दिनांक 09.08.2017 के प्रथम प्रस्तर के चतुर्थ पंक्ति में त्रुटिवश टंकित कुल शासकीय क्षति रू0 3,814.00 के स्थान पर कुल शासकीय क्षति रू0 1,432.75 पढा जाये।

3- उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-139/2017/1388/92-2-17-10जांच/2013 दिनांक 09-08-2017 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

रवीन्द्र नाथ सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- 153/2017/1455/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री एन0के0 त्रिपाठी तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in